

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षित सेवा (पुनरीकृत वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरीकृत वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 व 16 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी-I/II/III) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :-

क्र० सं०	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यगृहण तिथि	10/20/30/ वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे/ पे-लेवल
1	दिनेश चन्द शर्मा, राउमावि, रयोपुर सांगानेर (जयपुर)	प्रधानाचार्य	05-07-1960	05-12-1989	30 YEAR 04-12-2019	05-12-2019	L-17
2	अम्बुला शर्मा, राउमावि, धुस्थारी जिला भरतपुर	प्रधानाचार्य	05-07-1966	12-10-1989	30 YEAR 11-10-2019	12-10-2019	L-17
3	रमेश चन्द राघव, राउमावि, पाई जिला भरतपुर	प्रधानाचार्य	12-02-1964	07-08-1995	20 YEAR 06-08-2015	07-08-2015	6800/-
4	रामेश्वर लाल शर्मा, राउमावि, जूगदा जिला राजसमन्द	से०नि० प्रधानाचार्य	17-01-1957	16-08-1994	20 YEAR 15-08-2014	16-08-2014	6800/-
5	अनिता आहूजा, राउमावि, सांकरसी जिला झुंजरपुर	प्रधानाचार्य	10-07-1962	25-10-1989	30 YEAR 24-10-2019	25-10-2019	L-17
6	द्वारकालाल शाक्यवाल, राउमावि, बिसलाई जिला कोटा	प्रधानाचार्य	15-06-1963	09-01-1990	30 YEAR 08-01-2020	09-01-2020	L-17
7	सुरेश चन्द सुमन, राउमावि, बालदेखा जिला बारा	प्रधानाचार्य	26-03-1963	07-10-1989	30 YEAR 06-10-2019	07-10-2019	L-17
8	हंसराज गुप्ता, रामावि बालाखेडा (बारा)	प्र०अ०	15-11-1962	29-12-1989	30 YEAR 28-12-2019	29-12-2019	L-15

नोट :-

- 1 एसीपी स्वीकृत किए जाने पर हीम प्रतिशत वेतनवृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अन्तर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि पदोन्नति पर 26-ए का लाभ नहीं दिया गया है तो उक्त लाभ देय होगा।

(सोपन खत्री)

आई.ए.एफ.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविर-माध्य/संस्था/ए-3-4-6-8-8/एसीपी/जय./जोष./पाली/उदय/नर/कोटा/2020/15 दिनांक : 10-7-2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय-माध्यमिक शिक्षा
2. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
2. संबंधित संस्था प्रधान प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक
3. संबंधित अधिकारी

4. सिस्टम एमालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

(सोपन खत्री)

सोपन खत्री (कार्यिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर